रेरा का कड़ा रुख- जिले में कितने बिल्डर रजिस्टर्ड; कितने काम कर रहे, अब जांच होगी

रियल एस्टेट में ग्राहकों से धोखाधड़ी करने वाले नहीं बचेंगे, होगी कार्रवाई

सिटी रिपोर्टर | भागलपुर

बिहार रेरा (रियल एस्टेट विनियमन और विकास) के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि जमीन से संबंधित जो भी कार्य हैं, वह पूरी तरह सही हो। धोखाधड़ी न हो और ग्राहकों के साथ गलत न हो। इस तरह की समस्या आए तो सीधे रेरा के वेबसाइट पर जाकर शिकायत करें। बिल्डर सही से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच सही से हो, समय-समय पर अंचल अधिकारियों के स्तर से भी जांच करवाएं। ताकि पता चले कि जिस जमीन पर निर्माण हो रहा है वह सही है या नहीं। यह बातें उन्होंने शुक्रवार को समीक्षा भवन में रेरा पर आयोजित कार्यशाला में कही।

उन्होंने कहा कि ग्राहकों ने पैसा दे दिया और बिल्डर ने घर नहीं दिया तो उसकी भी जांच हो। इसे लेकर समय-समय पर ग्राहकों व बिल्डरों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन करें। गड़बड़ी करनेवालों के खिलाफ विभागीय के अलावा कानूनी कार्रवाई भी करें। रेरा के जांच आयुक्त संजय सिंह ने कहा कि यह सभी को समझाना होगा कि रेरा कानून बहुत ही सोच- समझ कर बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि शिकायतों का त्वरित निष्पादन हो सके। जिलावार बिल्डरों का आंकड़ा भी तैयार करें। बिहार में करीब 900 बिल्डर हैं, जिसमें 640 एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। इसी तरह जिला में कितने रजिस्टर्ड हैं और कितने काम कर रहे हैं, इसकी जांच हो।

सीओ को निर्देश... जिस जमीन पर निर्माण वह सही या नहीं, जांच करें

समीक्षा भवन में शुक्रवार को रेरा की बैठक में बोलते अधिकारी।

ये निर्देश भी दिए

- अब सभी जिलों को एक पुस्तिका भेजी जाएगी, जिसमें निबंधित प्रोजेक्ट्स की सूचना रहेगी
- जिले के आयोजन क्षेत्र की विस्तृत जानकारी एवं प्रोजेक्ट्स एवं प्रमोटर्स की रैंकिंग होगी
- सभी जिलों के डीएम एवं एसपी को ये अधिकार होगा कि शिकायत पर तुरंत कार्रवाई कर सकें।
- भागलपुर प्रमंडल के जिलों व नगर निगम की टीम रेरा अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू कराएं।
- नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई को जिला एवं निगम प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- जिलों से रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जाए ताकि रेरा कानून का पालन और प्रभावी ढंग से हो सके।

स्टेट से होगी मॉनिटरिंग

नगर निगम व निकायों के अधिकारियों से कहा कि जो निर्माण हो रहे हैं, वह पारदर्शी हो। रेगुलेटरी बोर्ड के हिसाब से काम हो, यह ध्यान रखें। खासकर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों के अलावा अवर निबंधक, उप नगर आयुक्त इन चीजों को गंभीरता से लें। वहीं बेहतर कार्य कैसे हो सकता है, इस पर सुझाव भी बिल्डरों से लें। डिफॉल्टरों का नीलाम पत्र ठीक से तैयार किया जाए। किन-किन धाराओं में उन पर जुर्माना लगाया जाए, यह भी स्पष्ट हो। डाटा भी इसका तैयार करें। जो रजिस्टर्ड बिल्डर हैं, उसकी मॉनीटरिंग स्टेट से भी होगी, लेकिन जिला अपने स्तर से करे। यह अंचल कार्यालय तक में लागू हो। गड़बड़ी पर नीलाम पत्र पदाधिकारी भी कार्रवाई करें।

ये रहे मौजूद: एसएसपी हृदय कान्त, सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार, बांका एसपी उपेन्द्र नाथ वर्मा, भागलपुर के डीडीसी प्रदीप सिंह , डीआरडीए डायरेक्टर दुर्गा शंकर, उप नगर आयुक्त के अतिरिक्त भागलपुर एवं बांका के 12 नगर निकायों के अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया।

लंबित वारंटों की सूची दें, ताकि निष्पादन हो: आईजी

रेंज आईजी विवेक कुमार ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से जारी सभी लंबित वारंटों की सूची दी जाए। ताकि उनका निष्पादन हो सके। डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि प्राधिकरण को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि घर खरीदने वालों की वास्विक समस्या क्या हैं, वह पता चले। जिससे कि रेरा बिहार के नियमों को उसी हिसाब से बनाया जा सके। बांका डीएम अंशुल कुमार ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन जरुरी है। इससे हमारे ऑफिसर भी जागरुक होंगे और वे बिल्डरों और ग्राहकों को भी जागरुक करेंगे। वहीं दूसरी पाली में अपार्टमेंट व बड़े बिल्डिंग बनाकर बेचनेवाले कारोबारियों को भी बुलाया गया। उन्हे इन नियमों के आधार पर ही काम करने को कहा गया। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, यह भी बताया। साथ ही उनके अधिकारों की जानकारी भी दी कि उनके साथ अगर कोई ग्राहक गलत करता है तो वह क्या कर सकते हैं। इस दौरान उनके सुझाव भी लिए गए। जिसमें रियल इस्टेट से जुड़े आलोक अग्रवाल व अन्य शामिल हुए।